

प्रपत्र

आयुक्त,
बस्ती मण्डल,
बस्ती

सेवा में

संयुक्त सचिव,
शिक्षा अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

संख्या
दिनांक

196

/सत्ताइस- /2017-18

दिनांक 3 अक्टूबर, 2018

देवही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हवेली खास बस्ती को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 1916/15-7-2009-1 (299)/ 2007 दिनांक 14-7-2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर से गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 30-10-2018 को आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित विद्यालय देवही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हवेली खास बस्ती को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु गठित मण्डलीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार उक्त प्रस्तावित विद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है -

- 1- विद्यालय की पजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर का कोई अधिकारी संस्था द्वारा नामित सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली / काउन्सिल आफ दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था की शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

For-Delhi School of Excellence

For-Delhi School of Excellence

Deena Singh
Manager

Principal
Delhi School of Excellence
Havelli Khas-Basti

For-Delhi School of Excellence
Deena Singh
Manager

Principal
Delhi School of Excellence
Havelli Khas-Basti



प्रचार्य
देवही विद्यालय
हवेली खास बस्ती

- 6- कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
- 9- जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में परित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-04-2009 के अनुषासन में विद्यालय द्वारा, सी० डी० एस० ई०, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित हैं।
- 10- उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

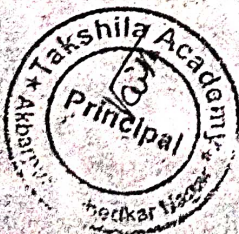
भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
आयुक्त
बस्ती मण्डल, बस्ती

संख्या 194 /सत्ताइस- /2017-18 दिनांक: 31 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01-शिक्षा सचिव (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
- 02-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 03-सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार, नई दिल्ली।
- 04-निरीक्षक, ऑगल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 05-जिलाधिकारी, बस्ती।
- 06-संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती।
- 07-जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती।



Principal
Principal
Delhi School of Excellence
Haveli Khas Basti

For Delhi School of Excellence
Beena Singh
Manager